



2026: AHC: 32516-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **1168/2026**

शिवांगी जायसवाल याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: आनंद श्रीवास्तव, आशीष चित्रंशी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अजीत मणित त्रिपाठी, जी.ए., हर्ष सिंह

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान रिट याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"(i) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी करें, जो प्रतिवादी संख्या 4 को थाना कैंट, जिला गोरखपुर में दर्ज मुकदमा अपराध सं. 616/2025, धारा 75(1)(iv), 76, 333, 351(3) B.N.S. के तहत की जा रही विवेचना का पर्यवेक्षण करने का आदेश दे।

(ii) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी करें, जो प्रतिवादी को यह निर्देशित करे कि वे प्रतिवादी संख्या 5 को निष्पक्ष और उचित विवेचना करने का निर्देश दें, जिसमें होटल अरुण गैंड, पार्क

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रोड, कैंट गोरखपुर से दिनांक 28.10.2025 के शाम 18:00 बजे से 19:00 बजे तक की घटना की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 के तहत एकत्र किया जाए और उसे मुकदमा अपराध सं. 616/2025, धारा 75(1)(iv), 76, 333, 351(3) B.N.S., थाना कैंट, जिला गोरखपुर की केस डायरी का हिस्सा बनाया जाए।

(iii) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी करें, जो प्रतिवादी को दो महीने की अवधि के भीतर विवेचना पूरी करने का निर्देश दे।

(iv) कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें या ऐसा आदेश पारित करें जैसा कि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और ठीक समझे।

(v) याचिकाकर्ता को रिट याचिका का खर्च प्रदान करें।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता प्रथम सूचनाकर्ता है और उसने 04.11.2025 को विवादित एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी, हालांकि पुलिस मामले की निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से विवेचना नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता अपनी शिकायत को रेखांकित करते हुए और निष्पक्ष एवं तटस्थ विवेचना की मांग करते हुए प्रतिवादी संख्या 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के समक्ष आवेदन कर सकती है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर वर्तमान मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और त्वरित विवेचना सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

13 फरवरी, 2026

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजिव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”